Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to rehabilitate the displaced families whose lands were acquired for Expressway link to Gorakhpur in Nathupur Khurd in Bhiau Block in Ambedkar Nagar Parliamentary Constituency,

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर से होकर गुजरता है । पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक मार्ग बनाया जा रहा है । इस लिंक मार्ग को स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जा रहा है । मेरे क्षेत्र के भिआउ ब्लॉक के अंतर्गत नत्थूपुर खुर्द में भूमि अधिग्रहण हुआ है । वहां पर दलितों के ऐसे 11 परिवार हैं, जिनको उनकी भूमि से विस्थापित किया गया है ।

मान्यवर, उसमें एक अड़चन यह पैदा हुई है कि उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस भूमि के मालिक कोई और लोग हैं, जिन्होंने इन दलितों के पूर्वजों को लाकर इस भूमि पर बसाया था । पुनर्वास एक्ट के हिसाब के अगर किसी भी व्यक्ति को किसी की भूमि से हटाया जाता है, तो उसको पहले एक जगह पर जमीन लेकर और उस जमीन पर घर बनाकर जब तक नहीं दिया जाता है, तब तक इस एक्ट का पालन नहीं होता है ।

मान्यवर, मेरा आपसे यह निवेदन है कि ये 11 दलित परिवार पूरी तरह से विस्थापित हो जाएंगे और वे रोड पर आ जाएंगे । इनकी स्थिति को देखते हुए पुनर्वास एक्ट के हिसाब से इनको जमीन लेकर और उस पर आवास बनाकर दिया जाए, तभी उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाए । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय मंत्री जी को जरूर निर्देशित करें कि उनको अपने अधिकारों के अनुसार और पुनर्वास एक्ट के हिसाब से अपनी जमीन और घर मिलने का काम हो सके ।